हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

षष्टम् सत्र

<u>समाचार भाग-1</u>

संख्याः 52

शुक्रवार, 6 सितम्बर, 2024/15 भाद्रपद, 1946(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्याः 2104, 2106, 2108 से 2114 तक के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों/मुख्य मंत्री/उप मुख्य मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 2105 तथा 2107 पर सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 2115 से 2137 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 946 से 969 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे ।

व्यवस्था का प्रश्न

माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार ने पिछले कल सरकारी संकल्प जोकि केन्द्र सरकार से तीन राज्यों की तर्ज़ पर हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक आपदा से हुए भारी नुकसान हेतु शत-प्रतिशत अनुदान के रूप में सहायता राशि प्रदान करने बारे था, पर माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा द्वारा की जा रही चर्चा के दौरान माननीय राजस्व मंत्री की ओर से सदन में कहे गए कुछ शब्दों पर आपत्ति दर्ज़ की गई।

इस पर **माननीय राजस्व मंत्री** ने अपनी बात रखते हुए कहा कि उनकी मंशा किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं थी।

संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री) ने कहा कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले क्योंकि आज माननीय सदन में बहुत सारे विषय चर्चा के लिए लगे हुए हैं जिनमें से अधिकतर विषय विपक्ष के सदस्यगणों के हैं। उन्होंने माननीय अध्यक्ष से निवेदन किया कि जैसे माननीय सदस्य, श्री विपिन सिंह परमार जी कह रहे हैं कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर इस माननीय सदन में पहले चर्चा की जानी चाहिए तो इसमें सत्तापक्ष को कोई एतराज़ नहीं है और विपक्ष का जो नियम-67 का विषय रिजैक्ट कर दिया गया था अगर उसको भी इसमें टैग करके लगा देते हैं तो उसके लिए भी सत्तापक्ष की सहमति है।

Ruling by the Speaker

"What I want to say is that whatever concerns have been raised by the Hon'ble Member Shri Vipin Singh Parmarji relating to some indecent or undesired words, I will peruse the record and I will remove all those undesirable things from the record whether it is related to Shri Negiji or Leader of the Opposition and Kangnaji who happens to be a Lok Sabha Member. दूसरा, आपने जो उल्लेख किया है कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर चर्चा की जाए तो यह विषय नियम-130 के अंतर्गत चर्चा में लगा हुआ है। बल्कि उससे पहले कुछ अन्य चर्चाएं भी लगी हुई हैं। यदि आप सभी चाहते हैं तो we

can give a priority to that under Rule 130. नियम-130 में आज दो विषय लगे हुए हैं और यदि विपक्ष चाहता है तो प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर चर्चा को पहले क्रम पर ले लेंगे। उससे पहले नियम-61 व नियम-62 के अंतर्गत भी चर्चाएं लगी हुई हैं। This is what I want to say. जहां तक सदन में कहे गए indecent शब्दों की बात है तो All those aspersions will be removed from the record whether from this side or that side."

माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा ने माननीय अध्यक्ष का पिछले कल सरकारी संकल्प पर चर्चा के दौरान माननीय राजस्व मंत्री द्वारा कहे गए कुछ शब्दों को कार्यवाही से निकालने के लिए धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि जिस समय यह घटनाक्रम हुआ था उस समय माननीय राजस्व मंत्री का माइक ऑन था परन्तु नेता प्रतिपक्ष का माइक ऑन नहीं था। अतः राजस्व मंत्री जी की बात को पूरे प्रदेश की जनता ने सुना है। इसलिए यदि इस मैसेज को सही करना है या माननीय सदन की परम्पराओं को निभाना है तो माननीय राजस्व मंत्री जी को अपने शब्दों को वापिस लेना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

"इस पर मैं यह कहना चाहूंगा कि यह ठीक है कि हमारी विधान सभा ई-विधान सभा है और सदन में माननीय सदस्यगण जो अपनी चर्चाएं करते हैं उनका ऑडियो/विडियो वायरल भी कर देते हैं। अब इसमें दो तरह का विरोधाभास है। एक तरफ हम लाइव होने की बात कर रहे हैं और जब सदन की कार्यवाही लाइव होगी तो फिर ये सारी चीजें लाइव ही जाएंगी। अभी विधान सभा के रिकॉर्ड को तो हमने करैक्ट कर दिया; उससे आपत्तिजनक शब्द भी निकाल दिए हैं लेकिन वह वीडियो जो वायरल हो चुका है उसकी अब एडिटिंग वगैरह का प्रोसीज़र बहुत लम्बा है। इसलिए मेरा पक्ष और विपक्ष, दोनों दलों से आग्रह है कि हम लोग मेरे चैम्बर में बैठकर इस विषय में संवाद करके इसका कोई-न-कोई समाधान निकालने का प्रयास करें।"

माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह ने उप-मुख्य मंत्री जी का ध्यान उनके द्वारा नियम-62 के अंतर्गत उठाए गए विषय की ओर आकर्षित करते हुए उस पर इसी इसी सत्र में स्पष्टीकरण देने हेतु निवेदन किया।

इस पर **उप-मुख्य मंत्री** ने कहा कि उस कमेटी को नोटिफाई कर दिया है लेकिन यदि उस कमेटी में प्रोजैक्ट या टैण्डर से संबंधित कोई भी ऑफिसर होगा तो कमेटी को डीनोटिफाई करके दोबारा से नोटिफाई किया जाएगा।

माननीय मुख्य मंत्री ने अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया कि आज के लिए निश्चित कार्यसूची को छोड़कर पहले प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर चर्चा करवा ली जाए ताकि माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार जी द्वारा कही गई बात की तरफ आगे बढ़ा जा सके।

माननीय राजस्व मंत्री ने अपनी बात रखते हुए कहा कि जब अध्यक्ष महोदय किसी सदस्य को सदन में बोलने की अनुमति देते हैं तो संबंधित सदस्य का माइक ऑन होने के साथ-साथ कैमरा भी उनकी ही तरफ घूम जाता है जिसके कारण जो सदन में लोग व्यवधान उत्पन्न करते हैं उनके ऊपर कैमरा नहीं जा पाता है और सदन से बाहर सही पिक्चर भी नहीं जाती है। वास्तव में कल अगर कैमरा विपक्ष की तरफ भी होता तो पता चल जाना था कि किसने शुरुआत की और क्या अपशब्द बोले। इसलिए टैक्निकल प्वाइंट ऑफ व्यू से यहां चारों तरफ कैमरे लगाने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय ने इस पर गौर करने के लिए कहा।

नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने अपनी बात रखते हुए कहा कि इस माननीय सदन में इस समय जो उनकी भूमिका नेता प्रतिपक्ष की है उसे वे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सदन में पक्ष और विपक्ष में किसी विषय पर गतिरोध होना स्वाभाविक है परन्तु सदन का नेता होने के नाते मुख्य मंत्री जी को गतिरोध के समय इंटरविन करना चाहिए था जिसकी उन्हें उम्मीद थी परन्तु उस पर मुख्य मंत्री महोदय खरे नहीं उतरे। उन्होंने कहा कि सदन में नियम सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों पर लागू होते हैं लेकिन सत्तापक्ष के लिए संयम बहुत आवश्यक है। प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि अभी यह सदन चल रहा है तो सबसे पहले प्रदेश की वित्तीय स्थिति की जानकारी लेने का अधिकार इस माननीय सदन को है।

माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि सत्तापक्ष ने तो उच्च परंपराओं का अभी भी निर्वहन किया है क्योंकि अभी जब पूर्व मुख्य मंत्री जी बोल रहे थे तो सत्तापक्ष के सभी माननीय सदस्यगण चुप रहे। उन्होंने अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि जिस विषय पर पहले चर्चा करने के लिए विपक्ष के माननीय सदस्यगण बोल रहे हैं उसी पर पहले चर्चा करवा ली जाए। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष किन्हीं अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा करना चाहता है और वॉकआउट नहीं करेगा तो अध्यक्ष महोदय हाउस को दो दिन के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं।

2. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **श्री मुकेश अग्निहोत्री, उप मुख्य मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) हिमाचल प्रदेश मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 138 के साथ पठित धारा 212 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मोटर यान (संशोधन) नियम, 2023 जोकि अधिसूचना संख्याः टी.पी.टी.-ए(3)-8/2003, दिनांक 01.08.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 03.08.2024 को प्रकाशित; और

(ii) नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (ए) एवं आर0टी0डी0सी0 के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की धारा 61 के अन्तर्गत रोपवेज एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एच.पी. लिमिटेड (आर0टी0डी0सी0) का वार्षिक लेखों पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 (विलम्ब के कारणों सहित)।

(2) **श्री चन्द्र कुमार, कृषि मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 62 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्टेट वैटनरी कांऊसिल के वार्षिक लेखें तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित), की प्रति सभा पटल पर रखी।

(3) **श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (कला/नॉन-मेडिकल/मेडिकल), ग्रुप-सी (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2024 जोकि अधिसूचना संख्याः ई0डी0एन0-सी-ए(3)-2/2020-II,

दिनांक 06.06.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 11.06.2024 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखी।

(4) **श्री विक्रमादित्य सिंह, लोक निर्माण मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, नायब तहसीलदार, ग्रुप-बी, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2023 जोकि अधिसूचना संख्याः पी0डब्ल्यू0डी0(सी)ए(3)-2/2021, दिनांक 29.02.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 04.03.2024 को प्रकाशित; और

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, कानूनगो, ग्रुप-सी, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2023 जोकि अधिसूचना संख्याः पी0डब्ल्यू0डी0(सी)ए(3)-1/2021, दिनांक 29.02.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 02.03.2024 को प्रकाशित।

3. सदन की समिति के प्रतिवेदन

श्री अनिल शर्मा, सभापति, लोक लेखा समिति (वर्ष 2024-25) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति के 193वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) पर बने 255वें कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण पर आधारित तथा कृषि विभाग से सम्बन्धित है;

(ii) समिति के 194वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) पर बने 34वें कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण पर आधारित तथा कृषि विभाग से सम्बन्धित है;

(iii) समिति के 195वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) पर बने 35वें कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के

उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण पर आधारित तथा कृषि विभाग से सम्बन्धित है; और

(iv) समिति के 197वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) पर बने 37वें कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण पर आधारित तथा कृषि विभाग से सम्बन्धित है।

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(1) **श्री रणधीर शर्मा, सदस्य** ने "श्री नैना देवी जी निर्वाचन क्षेत्र में बढ़ रही बिजली की समस्या" की ओर मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया।

माननीय मुख्य मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री रणधीर शर्मा ने स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय मुख्य मन्त्री ने उत्तर दिया।

01.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 02.00 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।

02.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक श्री कुलदीप सिंह पठानिया , माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(2) **श्री राकेश जम्वाल, सदस्य** ने "BBMB द्वारा निर्मित/संचालित BSL सुन्दरनगर जल विद्युत परियोजना से लोगों को आ रही समस्याओं से उत्पन्न स्थिति" की ओर मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री रणधीर शर्मा, श्री इन्द्र सिंह, श्री विपिन सिंह परमार व **श्री विनोद कुमार** सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया।

माननीय मुख्य मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

5. <u>विधायी कार्य</u>

(I) सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

(i) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक-27) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक-27) पुरःस्थापित हुआ।

(II) सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(i) **श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 7)" पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 7)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 7)"पारित हुआ।

(ii) **श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि (2024 के विधेयक संख्यांक-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 व 23)" पर विचार किया जाए।

माननीय अध्यक्ष ने अवगत करवाया कि सैक्शन 38 और 39 के ऑब्जैक्टिव्स पर अधीनस्थ विधायन समिति ने जो रिकमेंडेशन्ज दी हैं उसी के मुताबिक ये संशोधन हैं।

माननीय शिक्षा मंत्री ने अपनी बात रखते हुए कहा कि ये सभी प्रस्ताव अधीनस्थ विधायन समिति द्वारा अनुमोदित हुए थे और इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे रेगुलेटरी कमिशन की बात हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात हो, उनकी विधान सभा में पूरी ऑडिट रिपोर्ट/एनुअल रिपोर्ट ले की जाए ताकि उनकी जवाबदेही की क्वालिटी मॉनिटरिंग यहां पर माननीय सदस्य के द्वारा भी हो। इस सोच के साथ विधेयकों में ये संशोधन लाए गए हैं।

बिलों पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 व 3 विधेयकों का अंग बनें।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयकों का अंग बने।

श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि (2024 के विधेयक संख्यांक-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 व 23)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

(2024 के विधेयक संख्यांक-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 व 23)" को पारित हुए।

माननीय अध्यक्ष ने बताया कि माननीय सदन की अनुमति से सभी विधेयक collectively (समग्र रूप से) पास हुए हैं।

6. नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

श्री राकेश कालि या, श्री रणवीर सिंह (निक्का), श्री राकेश जम्वाल, श्री सुरेन्द्र शौरी, श्री लोकेन्दर कुमार, सुश्री अनुराधा राणा तथा श्री बिक्रम सिंह सदस्यों की ओर से नियम-324 के अंतर्गत विशेष उल्लेख उठाए गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए समझे गए।

7. नियम-102 के अन्तर्गत सरकारी संकल्प

श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि **"भांग के औषधीय एवं औद्योगिक उपयोग पर बना प्रतिवेदन जो दिनांक 22 सितम्बर, 2023 को सदन में उपस्थापित किया गया था,** पर यह सदन विचार करे।"

प्रस्ताव स्वीकार।

8. नियम-63 के अन्तर्गत अल्पकालीन चर्चा

श्री विपिन सिंह परमार, सदस्य ने निम्न विषय पर चर्चा उठाई -

> **"चौधरी सरवन कुमार विश्वविद्यालय की भूमि में से 112 हेक्टयर भूमि पर्यटन गांव (Tourism Village) के लिए सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)** देने पर यह सदन चर्चा करें।"

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया -

1. श्री विपिन सिंह परमार
2. श्री आशीष बुटेल, मुख्य संसदीय सचिव
3. श्री जय राम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष
4. श्री आर0एस0 बाली

माननीय कृषि मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

माननीय मुख्य मंत्री ने विषय पर अतिरिक्त जानकारी दी।

संसदीय कार्य मन्त्री(उद्योग मंत्री) ने कहा कि आज निर्णय लिया गया था कि नियम-130 के तहत प्रदेश की आर्थिक स्थिति वाले विषय पर पहले चर्चा कर ली जाए परन्तु नेता प्रतिपक्ष और सभी माननीय सदस्यगणों ने आग्रह किया

है कि इस विषय पर सोमवार को चर्चा रख ली जाए तथा उस दिन इस विषय को चर्चा के लिए पहले क्रम पर रखा जाए। अतः माननीय सदस्य श्री जीत राम कटवाल का आज जो नियम-130 के तहत प्रस्ताव लगा है, अभी उस पर चर्चा कर ली जाए ताकि इस पर मुख्य मंत्री जी का उत्तर भी आ जाए। उन्होंने सदन को जानकारी दी कि सत्र की अवधि को एक दिन और बढ़ाने के लिए माननीय मुख्य मंत्री ने अपनी सहमति दे दी है और भाजपा दल और नेता प्रतिपक्ष ने भी निवेदन किया है कि सत्र को मंगलवार, दिनांक 10 सितम्बर तक बढ़ा दिया जाए।

माननीय मुख्य मंत्री ने अपनी बात रखते हुए कहा कि यदि विपक्ष जनहित के कुछ अन्य मुद्दों पर सदन में चर्चा करना चाहता है तो यह अच्छी बात है। क्योंकि सोमवार को वित्तीय कुप्रबंधन पर चर्चा हेतु लगे प्रस्ताव पर अधिकतर सदस्यगण बोलना भी चाहेंगे और इसका उत्तर भी तैयार होना है। इसलिए मंगलवार को सत्र की बैठक करने के लिए सरकार सहमत है।

नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने कहा कि सदन की बैठक बढ़ाने के लिए जो प्रस्ताव रखा गया है इस बारे में हमसे भी चर्चा हुई है। अगर आज इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं तो सभी को समय की कमी महसूस हो रही थी। क्योंकि सोमवार को 2.00 बजे अपराह्न सत्र की बैठक आरंभ होगी और काफी माननीय सदस्यगणों ने चर्चा में भाग भी लेना है इसलिए मंगलवार तक यह सदन बढ़ाने का प्रस्ताव विपक्ष को स्वीकार है।

माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

"सदन की सहमति से जो आज विषय नियम-130 के अंतर्गत 'प्रदेश की वर्तमान वित्तीय स्थिति पर यह सदन विचार करे,' चर्चा के लिए लगा है, इसे सोमवार के लिए डैफर कर दिया गया है। सदन की सहमति से अब इस माननीय सदन की बैठक एक और दिन यानी मंगलवार के लिए बढ़ा दी गई है।"

6. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) **श्री जीत राम कटवाल, सदस्य** द्वारा दिनांक 03.09.2024 को प्रस्तुत प्रस्ताव **"प्रदेश की ऊर्जा/जल विद्युत नीति पर यह सदन विचार करे।"** पर चर्चा जारी-

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया -

1. श्री जीत राम कटवाल

(सदन की बैठक का समय 5.30 बजे अपराह्न तक बढ़ाया गया।)

(4.30 बजे अपराह्न श्री संजय रत्न सभापति पदासीन हुए।)

2. श्री सुख राम चौधरी

(04.55 बजे अपराह्न अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

(माननीय मुख्य मंत्री के उत्तर के बीच ही सदन की बैठक का समय पहले 05.40 बजे अपराह्न तक व तत्पश्चात 5.50 बजे अपराह्न तक बढ़ाया गया।)

माननीय मुख्य मन्त्री ने चर्चा का उत्तर पूरा किया।

5.50 बजे अपराह्न सदन की बैठक सोमवार, 09 सितम्बर, 2024 के 02.00 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।